# न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– शुचि त्यागी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर
अपील नम्बर :– 158/2017 (RCMS No.- 2017/00219)

उनवानी प्रकरण :–
सीताराम पुत्र राजकुमार जाति ठाकुर निवासी बौरेली तहसील बसेडी जिला धौलपुर

———— अपीलान्ट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी जिला धौलपुर ———— रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.09.2017 तहसीलदार बसेडी प्र.सं. 17/2017 उनवानी राज0 सरकार बनाम सीताराम अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधि0 1956

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री हरिवीर सिंह अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :–30.01.2018

## निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार बसेडी के निर्णय दिनांक 06.09.2017 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि:–

1. पटवारी हल्का बौरेली द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम बौरेली की सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 742, 743 रकवा 1.13 किस्म गै0मु0ताल पर सम्वत् 2074 में फसल खरीफ काश्त कर अपीलान्ट ने अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर प्रार्थी को बिना सुने प्रार्थी पर 735 रूपये का जुर्माना एंव बेदखल करने हेतु थाना बसेडी को परवाना जारी किया है जो गलत है एंव काबिल खारिजी है।
2. वर्तमान आराजी खसरा नम्बरान 742, 743, 744, 745 गत खसरा नम्बर 1394 तत्काल किस्म कछार का आवन्टन अति0 जिला कलक्टर धौलपुर के द्वारा किस्म परिवर्तन करके शिवचरन पुत्र माखन रकवा 3 बीघा, रामजीलाल पुत्र माखन रकवा 03 बीघा, निरोतीलाल पुत्र रामसरन रकवा 3 बीघा दिनांक 30.10.1976 को आवन्टन की थी एंव भीकमसिंह पुत्र वसन्तसिंह को खसरा नम्बर 1394 में से

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

रकवा 20 बीघा भूमि एक्सचेंज में मिली थी क्योकि पूर्व में बन्दोवस्त से पहले उक्त खसरा नम्बरान की भूमि की किस्म कछार थी इस वजह से कुल 22 लोगो के नाम दिनांक 30.10.1976 को आवटंन कर दिया।

3. आवटंन के वाद उक्त सभी लोगो को आवन्टित भूमि पर कब्जा दिया गया उन्हे राजस्व रिकॉर्ड में विभिन्न नामान्तरकरणो से गैरखातेदार/खातेदार दर्ज किया गया। वक्त आवटंन से शिवचरन, रामजीलाल, निरोती एंव भीकमसिंह अपने अपने रकवे पर काबिज होकर वहैसियत खातेदार काश्त करते रहे है।
4. भीकमसिंह पुत्र बसन्तसिंह ने अपने रकवा 2 वीघा को अपनी घरू आवश्यकता एंव अन्य कार्यो के लिए जरिये इकरारनामा दिनांक 16.09.1993 को अपीलान्ट के पिता राजकुमार एंव साहब सिंह को विक्रय कर दिया तब से भीकमसिंह की 10 बीघा आराजी पर राजकुमार के चारो पुत्र राधेश्याम, नरेन्द्रसिंह, सीताराम, राजेन्द्र सिंह काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।
5. शिवचरन एंव रामजीलाल पुत्रगण माखन, निरोतीलाल पुत्र रामसरन के वारिशान ने अपनी आराजी को अपीलान्ट एंव अपीलान्ट के भाईयों को दो वर्ष से बटाई पर काश्त करने के लिए दे रखा है। आराजी पर अपीलान्ट एंव अपीलान्ट के भाई उनकी सहमति से काश्त कर रहे है।
6. तहसीलदार बसेडी ने अपीलान्ट की खडी फसल को जे.सी.बी. से जुतबा कर नष्ट कर दिया।
7. अपीलान्ट ने जानकारी की तो जानकारी हुई कि उक्त आवटंन दिनांक 30.10.1976 को निरस्त करने के लिए शंकरलाल नाम के व्यक्ति ने नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया है जिसे न्यायालय ने दिनांक 28.09.1989 को खारिज कर दिया तथा आवन्टन बहाल रखे। न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.09.1989 के विरूद्ध शंकरलाल ने न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर में अपील कर दी जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए दिनांक 07.02.1991 को इस न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए आवन्टन निरस्त कर दिये और भूमि को गै.मु. ताल दर्ज करने के आदेश कर दिये जिसके आधार पर आवन्टियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाते हुए भूमि राज0 सरकार के नाम गै0मु0ताल दर्ज कर दी। उक्त आदेश का प्रभाव अपीलान्ट के पिता द्वारा खरीदी गई भूमि पर भी हुआ और अपीलान्ट के काबिज काश्त की भूमि गै.मु. ताल दर्ज हो गई।
8. माननीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 07.02.1991 के विरूद्ध आवन्टियों ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील कर दी जिसे राजस्व मण्डल अजमेर ने स्वीकार करते हुए दिनांक 29.05.1997 को माननीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय को निरस्त कर दिया तथा इस न्यायालय का आदेश दिनांक 28.09.1989 को बहाल रखा। जिसके तहत आवन्टन बहाल रखे गये।
9. माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के विरूद्ध सरकार ने एक सिविल रिट संख्या 5535/2000 माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर में दायर कर दी

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर

तथा एक रिट संख्या 1528/2001 शंकरलाल ने प्रस्तुत की दोनो रिट पिटीशन दिनांक 27.10.2014 एंव 08.08.2014 को खारिज हो चुकी है। विवादित खसरा नम्बर पर अब कोई मुकदमा विचाराधीन नही है।

10. दर्शन सिंह ने इस न्यायालय में धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पूर्व के इन्द्राज को बहाल करने के लिए प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में रिट संख्या 5535/2000 के निर्णय होने तक स्थगित रखने का आदेश पारित किया।

11. माननीय उच्च न्यायालय से रिट संख्या 5535/2000 दिनांक 27.10.2014 को खारिज हो चुकी है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.08.2007 की पालना होना बाकी है भूमि सरकारी नही होकर आवटियो की खातेदारी की भूमि है। जिसमें तहसीलदार को 91 एलआर एक्ट की कार्यवाही करने का अधिकार नही है।

12. पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्ध साक्ष्य प्रस्तुत कर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी बताया है जबकि उक्त खसरा नम्बर सरकारी भूमि है ही नही उक्त भूमि पर अपीलान्ट बटाई एंव क्रेता के रूप में काश्त कर रहा है जिसका उसे पूर्ण अधिकार है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्य एंव साक्ष्य के अभाव में निर्णय पारित किया है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय काबिल खारिजी है।

13. अपीलान्ट समाज में एक इज्जतदार व्यक्ति है एंव उसका भाई सरपंच रह चुका है। आज भी गावं की भलाई के लिए प्रार्थी तत्पर एंव तैयार रहता है। अपीलान्ट को तहसीलदार बसेडी के निर्णय की जानकारी पुलिस से हुई तो नकल हेतु दिनांक 09.10.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो 10.10.2017 को प्राप्त हुई। दिनांक 14.10.2017 को अपीलान्ट के भतीजे की पत्नि गैस सिलेण्डर दुर्घटना में जल गई जिसके इलाज में सारा परिवार विभिन्न हॉस्पीटलो में व्यस्त रहा उसके पश्चात् दिनांक 05.11.2017 को इलाज के दौरान उसका देहान्त हो गया उसके सोक में सारा परिवार एंव अपीलान्ट काफी दिनो तक घर से बाहर नही गये। पुनः सी.ओ. के द्वारा सूचना देने पर बिना देरी अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बसेडी का निर्णय दिनांक 06.09.2017 निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि मौका रिपोर्ट दिनांक 14.01.2017, आदेश दिनांक 06.09.17 एंव रिर्पोट पटवारी हल्का की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा फोटो स्टेट अलोटमेन्ट लेटर दिनांक 30.10.1976 बाके ग्राम बौरेली, फोटो स्टेट जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2039, फोटो स्टेट संविदा पत्र दिनांक 16.09.1993 राजकुमार पुत्र रामभरोसी, फोटो स्टेट निर्णय दिनांक 07.02.1991 न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर, फोटो स्टेट जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2053, फोटो स्टेट

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर निर्णय दिनांक 29.05.1997, फोटो स्टेट निर्णय दिनांक 21.08.2007 न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर, निर्णय दिनांक 22.07.2014 माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर की फोटो स्टेट प्रति एंव फोटो स्टेट प्रति निर्णय दिनांक 31.01.2017 न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर की प्रति पेश की तथा मुन्ना पुत्र शिवचरन जाति वैश्य निवासी बौरेली तहसील बसेडी, भगवानदास पुत्र रामजीलाल जाति वैश्य निवासी बौरेली तहसील बसेडी एंव राजेन्द्र पुत्र निरोती लाल जाति वैश्य निवासी बौरेली तहसील बसेडी के शपथ पत्र पेश किये।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस पेश करते हुए मौखिक बहस में कथन किया कि :–

1. खसरा नम्बर 1394 रकवा 62 वीघा 3 विस्वा जिसके साबिक खसरा नम्बर किस्म कछार वाके ग्राम बौरेली तहसील बसेडी थे जिसे बन्दोवस्त विभाग ने गै.मु. ताल दर्ज कर दिया गया।
2. खसरा नम्बर 1394 रकवा 62 वीघा 3 विस्वा ग्यासीराम वगैरा 14 व्यक्तियों के नाम 42 वीघा का आवन्टन दिनांक 27.10.1976 को किया गया तथा मौके पर कब्जा दिया गया।
3. दिनांक 14.07.1970 को जिला कलेक्टर भरतपुर के द्वारा आदेश क्रमांक 1212 (22)रेवेन्यू/70/4910 आदेश तहसीलदार बसेडी दिनांक 21.07.1970 द्वारा भीकमसिंह पुत्र बसन्तसिंह को 20 बीघा भूमि एक्सचेंज में दी गई। जिसके आधार पर भीकमसिंह के नाम नामान्तकरण संख्या 320 खोला गया। तथा भीकमसिंह को जमाबन्दी में गैर खातेदार दर्ज किया गया।
4. दिनांक 16.03.1993 को भीकमसिंह ने अपीलान्ट के पिता राजकुमार एंव साहबसिंह को 90,000/– नब्बे हजार रूपये में उक्त आराजी विक्रय कर दी जिसका संबिदा पत्र लिखा गया जो प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें एडवांस 53000/– रूपये दे दिये गये है जिसके आधार पर अपीलान्ट उक्त आराजी पर काबिज है एंव आवन्टी शिवचरन पुत्र माखन, रामजीलाल पुत्र माखन, निरोतीलाल पुत्र रामसरन के वारिशान ने अपनी आराजी को अपीलान्ट एंव अपीलान्ट के भाईयो को बटाई पर काश्त करने के लिए दो वर्ष से दे रखा है। उक्त आराजी पर अपीलान्ट उनकी सहमति से काश्त कर रहे है।
5. शंकरलाल नाम के व्यक्ति ने नियम 14(4) की कार्यवाही दिनांक 27.10.1976 के आवन्टन के विरूद्ध की जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.1989 को निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध आर.ए.ए. के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार कर मात्र 6 आवन्टियों के आवन्टन निरस्त कर दिये तथा भूमि को गै.मु. ताल दर्ज करने के आदेश दिये।
6. आर.ए.ए. के निर्णय की पालना में मात्र 6 आवन्टियों के आवटंन निरस्त करने चाहिए थे लेकिन उनके साथ भीकमसिंह के इन्द्राज को आदेश दिनांक 14.07. 1970 के आधार पर किये गये उन्हे भी हटा दिया गया जिसे हटाने का तहसीलदार को कोई अधिकार नही था। समस्त इन्द्राजात इन्तकाल नं. 1228 के तहत निरस्त किये गये।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

7. माननीय न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर के निर्णय के विरूद्व अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में हुई जिसे स्वीकार करते हुए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने माननीय न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर के निर्णय दिनांक 29.05.1997 को निरस्त कर दिया।
8. माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की पालना के लिए इस न्यायालय में धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 23.10.2007 को स्वीकार कर पालना रिट संख्या 5535/2000 के निर्णय तक स्थगित रखी गई।
9. माननीय उच्च न्यायालय खण्ड खण्डपीठ जयपुर में रिट संख्या 5535/2000 दिनांक 27.10.2014 को खारिज हो चुकी है। अतः निर्णय दिनांक 27.10.2007 की पालना होना शेष है।
10. तहसीलदार बसेडी ने एक रेफरेंन्स उपरोक्त समस्त कार्यवाही के पश्चात् न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय ने दिनांक 31.01.2017 को निरस्त कर दिया है।
11. तहसीलदार बसेडी के संज्ञान में होते हुए कि रिट संख्या 5535/2000 खारिज हो चुकी है तो न्यायालय श्रीमानजी के आदेश दिनांक 27.10.2007 की पालना करनी चाहिए थी ऐसा नही करके तहसीलदार बसेडी ने न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की है। मात्र राजनीतिक द्वेष के कारण तहसीलदार ने राजनैतिक दवाब में आदेश की अवहेलना की है। इस प्रकार खसरा नम्बर 1394 रकवा 62 वीघा 3 विस्वा वाके ग्राम बौरेली तहसील बसेडी के जो नये खसरा नम्बर दिये गये है वो सरकारी भूमि नही होकर आवन्टियों की भूमि है। जिस पर तहसीलदार बसेडी को 91 एलआर एक्ट की कार्यवाही करने का कोई अधिकार नही है।
12. वकील अपीलान्ट ने आर.आर.डी. 2002 पेज संख्या 583 की नजीर पेश की जिसमें प्रतिपादित है कि '' *Constitution of India, Art. 226- Alternative remedy- writ petition challenging the order passed by dy.Collector and mutation proceedings holding the petitioner-appellant to be trespasser on the land- Ex- parte interim order was passed and after hearing both the sides, interim order was not only confirmed but petitioner was given liberty to restore demolished construction- petition pending for 12 year- hled, single judge was not justified in dismissing the petition solely on the ground of availability of alternative remedyat this distance of time.*

उन्होने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.09.2017 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान से होती है। अपीलान्ट को पूर्व में भी बेदखल किया जा चुका है। जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का के बयान से होती है। अतिकमित भूमि की किस्म गै0मु0 ताल है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। उक्त भूमि पर किसी को न तो कोई अधिकार प्राप्त हो सकते है और ना ही इसका आवंटन किया जा सकता है।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

अपीलान्ट के द्वारा उपरोक्त भूमि को संविदा पत्र के आधार पर लिया जाना बताया गया है जबकि संविदाकर्ता को भूमि को बिना किसी अधिकार के भूमि को संविदा पर देने का कोई अधिकार नही है। भूमि पर अपीलान्ट की हैसियत एक अतिकमी की है। गै0मु0 ताल की भूमि पर अपीलान्ट द्वारा किये गये अतिकमण के बिरूद्व तहसीलदार बसेडी द्वारा की गई कार्यवाही में कोई त्रूटि नही है उन्होने अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने प्रस्तुत अपील, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अनुसार अपीलाधीन आदेश में वर्णित आराजी की किस्म गै0मु0 ताल अंकित है और अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के बिन्दु संख्या 3 व 4 में अंकित किया है कि श्री भीकमसिंह के द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक 16.9.1993 को राजकुमार एवं साहबसिंह को बिकय कर दिया तब से राजकुमार के चारो पुत्र राधेश्याम, नरेन्द्रसिंह, सीताराम, राजेन्द्रसिंह काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। शिवचरन पुत्र माखन, रामजीलाल पुत्र माखन, निरोतीलाल पुत्र रामसरन के वारिसान ने अपनी आराजी को अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के भाईयों को बटाई पर दो बर्ष के लिए दे रखा है। इस संबंध में अपीलान्ट की ओर से श्री मुन्ना पुत्र शिवचरन, भगवानदास पुत्र रामजीलाल, राजेन्द्र पुत्र निरोतीलाल के प्रस्तुत शपत्र पत्रो में उपरोक्त भूमि को उनके द्वारा विगत 2 वर्षो से बटाई पर अपीलान्ट को दिया जाना अंकित किया गया है इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट को विवादित भूमि का कोई आवंटन आदि नही हुआ है उसके द्वारा गै0मु0 ताल की भूमि को बटाई पर लिया गया है जबकि श्री मुन्ना पुत्र शिवचरन, भगवानदास पुत्र रामजीलाल, राजेन्द्र पुत्र निरोतीलाल को विवादित भूमि में कोई अधिकार हॉसिल नही हुये थे और न ही उन्हे विवादित भूमि को बटाई पर देने का कोई अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार अपीलान्ट की स्थिति विवादित भूमि में एक अतिकमी की है और अतिकमी को सार्वजनिक उपयोग की भूमि से बेदखल किये जाने हेतु पारित निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति सहित तहसीलदार बसेडी को वापिस भिजवाई जावे । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

( शुचि त्यागी )
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर,धौलपुर
धौलपुर